भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-211

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

सरकारी विद्यालयों का विलय

*211. **श्री नारायणदास अहिरवार :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कम संख्या में छात्रों वाले कई सरकारी विद्यालयों को निकटवर्ती बड़े विद्यालयों में मिला दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे विलय से ग्रामीण और गरीब बच्चों की विद्यालय स्थल से दूरी और विद्यालय शिक्षा की लागत में वृद्धि हुई है जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नामांकन दर और शिक्षण की गुणवत्ता पर विद्यालयों के विलय के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन/मूल्यांकन कराया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त नीतियों को सरकारी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रयास के रूप में मानती है अथवा निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक कदम के रूप में मानती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित कर रही है कि सरकारी विद्यालयों की संख्या में कमी न आए और सभी बच्चों को उनके घरों के पास निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

'सरकारी विद्यालयों का विलय' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री नारायणदास अहिरवार द्वारा दिनांक 15.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 211 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना, बंद करना और उनका यौक्तिकीकरण संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत बच्चों को तय क्षेत्र या नजदीकी सीमाओं के अंदर प्रारंभिक स्कूलों तक पहुँच का प्रावधान है। आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में, सभी राज्यों ने अपने पड़ोस के मानदंडों के हिसाब से क्षेत्र या सीमाएं अधिसूचित की हैं। इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 8 में यह भी अधिदेशित है कि उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी और यह नजदीक में स्कूल उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

यूडाइज़+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा के स्तर के हिसाब से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शिक्षक प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत किए जाने वाले मध्यवर्तनों का उद्देश्य अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना; राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) को सहायता देना ताकि वे स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एसई) की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा, अनुसंधान प्रभावी और कुशलतापूर्वक कर सकें तथा राज्य-विशिष्ट पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित कर सकें; जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण; और बीआरसी/सीआरसी इत्यादि के माध्यम से स्कूलों को सतत रूप से शैक्षिक सहायता प्रदान करना है।

यूडाइज़+ पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सर्वसुलभ पहुँच को बेहतर बनाने में प्रगति हुई है। यह वर्ष 2018-19 और 2024-25 हेतु सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) से स्पष्ट है:

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
2018-19	97.15	96.49	88.24	65.05
2024-25	97.83	96.57	95.35	94.97

जीएआर: सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) एक वर्ष में कुल गांवों/बस्तियों में से उन गांवों/बस्तियों की संख्या है, जिनमें उस वर्ष निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार स्कूल हैं।

शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (एनसीईआरटी) द्वारा दिसंबर 2024 में आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 3, 6

और 9 के छात्रों में मूलभूत क्षमता विकास का आकलन किया गया। 781 जिलों के 74,000 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख विद्यार्थियों और 2.70 लाख शिक्षकों से अधिक ने इसमें भाग लिया। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय रिपोर्ट कार्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं। इससे पहले, भारत सरकार ने विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों और क्षमताओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) आयोजित किया था। राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर विद्यार्थियों का कक्षा-वार, विषय-वार और प्रबंधन-वार विवरण https://nas.gov.in/report-card/2021 पर उपलब्ध हैं।

साथ ही, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत बालवाटिका से कक्षा 8 तक उपलब्ध कराए जाने वाले मध्याह्न भोजन के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/सुदृढ़ करने, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और स्तरोन्नयन तथा संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के नाम से आवासीय स्कूल/छात्रावास स्थापित करना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाने, मौसम अनुकूल छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और मुफ्त यूनिफॉर्म देना, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा इत्यादि सहित सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक सामग्री और उपकरणों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एनईपी 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करने वाले 14,500 से अधिक चयनित स्कूलों को आदर्श स्कूलों, जो आस-पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करेंगे के तौर पर विकसित करने के उद्देश्य से पीएम श्री योजना भी शुरू की गई है।

******